[2018] 12 एससीआर 947

प्रदीप बिसोई उर्फ रंजीत बिसोई

बनाम

ओडिशा राज्य

(आपराधिक अपील सं.1192/2018)

10 अक्टूबर,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 161-घायल का बयान के अधीन, यदि मृत्यु के बाद मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है-अभि सा.-1 का भाई, सूचक देने वाले पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा हमला किया गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई-भा.दं.स., भाग-II धारा 304 के अधीन अपीलार्थी को दोषी ठहराया। अपीलार्थी की याचिका कि धारा 161 के तहत दर्ज किया गया। 161 को मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनकी मृत्यु तीन महीने से अधिक समय के बाद हुई थी-अभिनिर्धारितः 1872 के अधिनियम की धारा 32 उन मामलों से संबंधित है जिनमें व्यक्ति जो मर चुका है या पाया नही जा सकता है आदि द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान प्रासंगिक है-पुलिस द्वारा धारा 161 आपराधिक दंड संहिता के तहत दर्ज बयान जो 1872 अधिनियम के धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। प्रासंगिक और स्वीकार्य है-विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि घायल-मृतक का बयान धारा 32, 1872 अधिनियम के तहत स्वीकार्य था। अधिनियम क्योंकि यह उसकी मृत्यु के कारण और वह कैसे घायल हुआ था-इसके अलावा, घायल-मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान में उसके शरीर पर लगी चोटों और अभियोजन पक्ष द्वारा दावा की गई घटनाओं के अनुक्रमों से पुष्टि मिली-पंजीयन अधिकारी द्वारा दर्ज घायल-मृत व्यक्ति के बयान पर भरोसा करने में निचली अदालत के साथ-साथ

उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं -साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 32-दंड संहिता, 1860 - धारा 304, भाग-I।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 उन मामलों से संबंधित है जिनमें व्यक्ति मर चुका है या पाया नही जा सकता आदि के द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान प्रासंगिक है। धारा 161, आपराधिक दंड संहिता पुलिस द्वारा गवाहों की जाँच से संबंधित है। धारा 162, आ.दं.सं. "पुलिस को दिए गए बयानों जिनपर हस्ताक्षर नहीं करने है से संबंधित है-साक्ष्य में बयानों का उपयोग" से संबंधित है। [कंडिका 8,9] [951-डी; 952-सी]

1.2 आ.दं.सं. की धारा 162 की उप-धारा (2) में उप-धारा (1) में जो निर्धारित किया गया है, उसके लिए एक स्पष्ट अपवाद शामिल है। पुलिस द्वारा धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान जो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानो के अंतर्गत आता है स्पष्ट रूप से प्रासंगिक और स्वीकार्य हैं। मौजुदा एक ऐसा मामला है जिसमें परीक्षण अधिकारी द्वारा धारा 161 के तहत 05.12.1990 को पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने बयान को प्रासंगिक माना और उक्त बयान पर भरोसा किया। परीक्षण अधिकारी द्वारा 05.12.1990 पर दर्ज किए गए घायलों के बयान पर भरोसा करने में निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। निचली अदालत ने सबूतों की सराहना के बाद निष्कर्षों को दर्ज किया कि मृतक को तेजाब की चोटों के साथ-साथ बम विस्फोट की चोटें भी थीं। तेजाब के हमले में उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी और अपना दाहिना पैर भी खो दिया। निचली अदालत ने सही निर्णय दिया कि मृतक का 05.12.1990 पर दिया गया बयान धारा 32 के तहत स्वीकार्य है

क्योंकि यह उसकी मृत्यु के कारण और वह कैसे घायल हुआ था, इसके बारे में है। [पैरा 10,15-17] [953-सी जी; 960-ई-एफ; 961-एफ]

1.3 मृतक के शरीर पर लगी चोटें अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन करती हैं। 05.12.1990 पर मृतक द्वारा दिए गए बयान में, इस प्रकार, मृतक के शरीर पर लगी चोटों और अभियोजन पक्ष द्वारा दावा की गई घटनाओं और घटनाओं के क्रम से पुष्टि मिलती है। अभि. सं.1, सूचक ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया। [पैरा 18] [962-सी]

मुकेश भाई गोपाल भाई वरीट बनाम गुजरात राज्य **(2010) 8 स्तर 477;** श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश **(2013) 12 एससीसी 137:[2012] 12 एससीआर 774;** *नजम फरागी उर्फ निज्जम फारूकी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **(1998) 2 एससीसी 45:[1997] 5 पूरक एससीआर 148-पर निर्भर किया गया।**

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2002) 6 एस. सी. सी. 710;** पापरमबाका रोसम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **(1999) 7 एससीसी 695:[1999] 2 पूरक एससीआर 328;** कोली *चुनिलाल सावजी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य* **(1999) 9 एससीसी 562: [1999] 3 पूरक एस. सी. आर. 284-संदर्भित**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(2002) 6 एससीसी 710	**पारा 4**	**को संदर्भित**
(2010) 8 स्केल 477	**पारा 5**	**पर निर्भरित**
[2012] 12 एससीआर 774	**पारा 5**	**पर निर्भरित**
[1997] 5 पूरक एससीआर 148	**पारा 12**	**पर निर्भरित**
[1999] 2 पूरक एससीआर 328	**पारा 13**	**को संदर्भित**
[1999] 3 पूरक एससीआर 284	**पारा 13**	**को संदर्भित**

आपराधिक अपीलीय न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1192/2018

आपराधिक अपील सं. 311/1992 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के दिनांकित 25.01.2017 के निर्णय और आदेश से।

यशोबंत दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. बी. प्रधान, एम. ए. अलीम माजिद, केदार नाथ त्रिपाठी, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

सिबो शंकर मिश्रा, निरंजन साहू, उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **अशोक भूषण, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया।

1. यह अपील अभियुक्त द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 25.01.2017 के निर्णय के खिलाफ दायर की गई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत उसकी दोषसिद्धि और निचली अदालत द्वारा दी गई पांच साल के कठोर कारावास की सजा पर सवाल उठाया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि भास्कर साहू (मृतक) 28.11.1990 को सुबह 7 बजे साइकिल से बेलापाड़ा के पास जा रहे थे। बेलापाड़ा पुल के पास आरोपी ने मृतक की ओर बम फेंका, जो मृतक भास्कर साहू के दाहिने पैर में लग गया, जिससे वह सड़क पर गिर गया। जब भास्कर साहू ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, तो आरोपी मृतक के सामने भागा और भास्कर साहू के दाहिने कंधे पर काठी से वार किया, जिस पर वह नीचे गिर गया, जिसके बाद आरोपी ने भास्कर साहू के सिर, चेहरे और छाती पर तेजाब डाल दिया। इसके बाद आरोपी और उसके दोस्त वहां से चले गए। भास्कर साहू के गाँव के एक खलिया पति ने मृतक को साइकिल की मदद से ले गए। इसके बाद भास्कर साहू के भाई-सुरेंद्र नाथ साहू हमले की खबर मिलने के बाद गांव के तारिणी साहू, कासिनाथ बिसोई और विद्याधर बाबू के साथ आए और भास्कर साहू को

बेरहामपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। भास्कर साहू के भाई सुरेंद्र नाथ साहू ने आरोपी का नाम लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 324/326/286 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। परीक्षण अधिकारी ने 30.11.1990 को घटनास्थल का दौरा किया और एक खून से सना हुआ पत्थर और नमूना पत्थर और तेजाब की गंध वाला एक पीले रंग का बनियन जब्त किया और जब्ती की सूची तैयार की। कुछ नमूना मिट्टी, तेजाब की गंध वाला एक तौलिया भी देखा गया। इसके बाद परीक्षण अधिकारी ने गवाहों से पूछताछ की। परीक्षण अधिकारी ने 05.12.1990 को अभियुक्त की गिरफ्तारी दिखाई। परीक्षण अधिकारी ने 05.12.1990 को धारा 161 आ.दं.सं. के तहत भास्कर साहू का बयान दर्ज किया। जिस बयान में भास्कर साहू ने आरोपी का नाम लिया है, बम फेंकने वाले व्यक्तियों का जिसने कोठी से मारा और उसके चेहरे और सिर पर तेजाब फेंका। अभियुक्त का चालान किया गया और अभि. सा. 1, सूचक, अभि. सा. 2-दंडोपानी दास और अभि. सा. 3- प्रफुल्ल लुमेन साहू से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई। परीक्षण अधिकारी (पीडब्लू4)-पृथांडी मोघी भी कटघरे में दिखाई दिया। अस्पताल में रहते हुए मृतक की मृत्यु 25.03.1991 पर हुई। बचाव पक्ष ने दो गवाहों प्र. सा. 1-रमेश चंद्र साहू और प्र.सा. 2-विद्याधर साहू से पूछताछ की।

3. निचली अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने और पक्षों के वकील को सुनने के बाद आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर, आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले से खारिज कर दिया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि अन्य गवाहों के साथ अभि. सा.1 के साक्ष्य में विरोधाभास है। इस बात को लेकर विरोधाभास है कि घायल को अस्पताल कौन ले गया। पीड़ित बेहोश हो गया और यह अविश्वसनीय है कि उसने अभि. सा.1 को सूचित किया

कि वह आरोपी था, जिसने उस पर हमला किया था। धारा 161 आ.दा.सं. के तहत दर्ज घायल के बयान को इस न्यायालय के **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एससीसी 710,** में संविधान पीठ निर्णय द्वारा प्रतिपादित कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत को देखते हुए मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है कि अपराध का लेखक कौन है, नीचे दिए गए दोनों न्यायालय शंका और अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे, न कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर।

5. अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, दोनों न्यायालयों ने अभियुक्त के खिलाफ साबित आरोप को सही ठहराया है। आई. ओ. द्वारा दर्ज 05.12.1990 पर घायल लोगों द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसके अलावा, अभि. सा. 1 का साक्ष्य, जिसे मृतक ने सूचित किया था कि वह आरोपी था, जिसने बम फेंका और काटी हमला किया और तेजाब फेंका, नीचे की अदालतों द्वारा सही माना गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 05.12.1990 पर घायल द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह से स्वीकार्य था और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा उस पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। राज्य के विद्वान वकील ने **मुकेशभाई गोपालभाई बारोट बनाम गुजरात राज्य, (2010) 8 स्तर 477 और श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 12 एससीसी 137** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का मुख्य जोर यह है कि परीक्षण अधिकारी द्वारा पीड़ित के 05.12.1990 पर दर्ज किए गए बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि मृत्यु तीन महीने से अधिक समय के बाद हुई

थी। वह प्रस्तुत करता है कि दोनों न्यायालयों ने उक्त कथन को मृत्यु घोषणा के रूप में मानने में त्रुटि की है।

8. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 उन मामलों से संबंधित है जिनमें व्यक्ति जो मर चुका है या पाया नही सकता आदि द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान प्रासंगिक है। धारा 32 जहाँ तक वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

धारा 32.ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति जो मर चुका है या पाया नही जा सकता आदि द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन प्रासंगिक हैं।---

एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान, जो मर चुका है, या जो नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगता है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैंः---

(1) **जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।--** जब कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।

XXXXXXXXXX

दृष्टांतः

(ए) सवाल यह है कि क्या ए की हत्या बी द्वारा की गई थी; या ए की मृत्यु उस लेन-देन में लगी चोटों से हुई थी जिसके दौरान वह अपमानित हुई थी। सवाल यह है कि क्या वह बी से नाराज थी; या

सवाल यह है कि क्या ए को बी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मार दिया गया था कि ए की विधवा द्वारा बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।

ए द्वारा उनकी मृत्यु के कारण के बारे में दिए गए बयान, क्रमशः हत्या, बलात्कार और विचाराधीन कार्रवाई योग्य गलत का उल्लेख करते हुए, प्रासंगिक तथ्य हैं।

9. ध्यान देने योग्य अन्य प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 162 हैं। धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ से संबंधित है। धारा 162 "पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करने-साक्ष्य में बयानों का उपयोग" से संबंधित है। धारा 162 आ.दं.सं. इस प्रकार हैः-

162. पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिएः का उपयोग करें साक्ष्य में कथन का उपयोग -- (1) इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि लिखित रूप में सीमित किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या अभिलेख का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था:

बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान यथापूर्व लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो आरोपी द्वारा और अदालत की अनुमति से, अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान की गई तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है; और जब ऐसे बयान का कोई भी हिस्सा इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में संदर्भित किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से।

(2) इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी; या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करती है।

स्पष्टीकरण- उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभासी हो सकती है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और अन्यथा प्रासंगिक प्रतीत होती है जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न होगा।

10. उप-धारा (1) में जो निर्धारित किया गया है, उसके लिए धारा 162 की उप-धारा (2) में एक स्पष्ट अपवाद शामिल है। इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाली धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया बयान स्पष्ट रूप से प्रासंगिक और स्वीकार्य है। **मुकेशभाई गोपालभाई बारोट (ऊपरोक्त)** में, इस न्यायालय को आ.दं.सं. की धारा 161 और 162 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में, पीड़ित, जिसे 14.09.1993 पर जलने

की चोटें आईं, उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। धारा 161 आ.दं.सं. के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान को उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि इसका कोई साक्ष्य पूरक मूल्य नहीं है। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं किया। पारा संख्या 4 और 5 में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए व्यक्तियों के बयान को मृत्यु के बाद मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है। पारा संख्या 4 और 5 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

> **"4.** हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। शुरुआत में, हमें उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करना चाहिए कि मृत्यु घोषणाओं उदाहरण 44 और 48 को आ.दं.सं. की धारा 161 और 162 के प्रावधानों को देखते हुए जो संचयी रुप से परे जाने पर सबूत के रूप में नहीं लिए जा सकते है। हालाँकि, ये निष्कर्ष गलत हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 की उप-धारा (1) मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की प्रासंगिकता सहित कई स्थितियों से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैः
>
> > धारा 32 ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति जो मृत है या पाया नही जा सकता आदि द्वारा प्रासंगिक तथ्य के बयान प्रासंगिक हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो मृत है, या जो नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगता है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैंः-

(1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।- जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गई के बारे में बयान दिया जाता है, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।"

हम देखते हैं कि उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए उपरोक्त मृत्यु घोषणाएं प्रासंगिक हैं। अन्यथा भी, आ.दं.सं. की धारा 161 और 162 में जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान के स्वीकृततः के प्रतिबंधात्मक उपयोग का प्रावधान है, लेकिन धारा 162 की उप-धारा (2) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां बयान देने वाले की मृत्यु हो जाती है और वह इस प्रकार हैः

"(2) इस धारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी, या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करती है।"

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के साथ पढ़े जाने पर उपरोक्त प्रावधान के एक मात्र अवलोकन से पता चलता है कि धारा 161 के तहत दर्ज किसी व्यक्ति के बयान को उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु घोषणा के रूप में माना जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि मृत्यु घोषणाओं उदाहरण 44 और 48 का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं था, गलत है। मामले के इस दृष्टिकोण में, 14 सितंबर 1993

को मजिस्ट्रेट को दी गई पहली मृत्यु घोषणा, वास्तव में, इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी।"

11. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा **श्री भगवान (उपरोक्त)** में व्यक्त किया गया है, जहां इस न्यायालय को धारा 161 आ.दं.सं. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने पीड़ित की मृत्यु के बाद धारा 161 आ.दं.सं. के तहत एक बयान पर विचार किया। पारा 20 से 24 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किए गए हैंः-

"20. उपरोक्त निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, जब हम उस समय मामले में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति का परीक्षण करते हैं जब मृतक का धारा 161 आ.दं.सं. के तहत बयान दर्ज किया गया था, तो दर्ज किया गया अपराध आईपीसी की धारा 326 के तहत था जो पीड़ित को लगी गंभीर चोटों के संबंध में था। अभि.सा. 4 पीड़ित की मृत्यु की घोषणा दर्ज करने पर विचार नहीं कर रहा था क्योंकि पीड़ित गंभीर रूप से घायल था और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। उसे उचित उपचार के लिए अस्पताल भेजने से पहले अभि.सा. 4 ने सोचा कि पीड़ित से खुद हुई घटना के बारे में विवरण प्राप्त करना उचित है और इस तरह प्रदर्शनी का-2 को दर्ज किया गया। निस्संदेह, बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। बाद के विकास के परिणामस्वरूप अगले दिन पीड़ित की मृत्यु हो गई और कानून ने अभियोजन पक्ष को इसे एक मृत्यु घोषणा के रूप में मानते हुए उक्त बयान पर भरोसा करने का अधिकार दिया, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी वकील की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतिकरण स्वीकृति के योग्य है।

21. श्री रत्नाकर दास, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (2) का एक विशिष्ट संदर्भ दिया कि उक्त धारा एक

अपवाद और विश्वसनीयता तैयार करती है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान को कुछ असाधारण परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत एक घोषणा के रूप में छोड़ दिया जा सकता है। धारा 162 (2) दं.प्र.सं. निम्नानुसार हैः

> **"162. (2)** इस धारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी, या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करती है।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत यह निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः

> **"32. ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति जो मृत है या पाया नही जा सकता आदि द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन प्रासंगिक हैं।-**
>
> एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान, जो मर चुका है, या जो नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में अदालत को अनुचित लगता है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैंः
>
> **(1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।-** जब कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेनदेन की किसी भी परिस्थिति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।"

23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह का बयान प्रासंगिक होगा, भले ही बयान देने वाला व्यक्ति उस समय मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं था जब उसने यह बयान दिया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत आने वाले इस तरह के बयान से जुड़ी असाधारण विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने बार-बार चेतावनी दी है कि मृत्यु घोषणा के रूप में दर्ज किए गए ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करते समय अत्यधिक सावधानी और सावधानी बरती जानी चाहिए।

24. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (2) के निहितार्थ का संबंध है, कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, उन अपवादात्मक परिस्थितियों के विपरीत, जिनके तहत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान पर भरोसा किया जा सकता है, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, एक बार जब उक्त बयान, यद्यपि धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के भीतर आने वाली मृत्यु घोषणा का चरित्र मानता है, तो धारा 32 (1) द्वारा शासित घोषणा पर लागू होने वाली जो भी विश्वसनीयता स्वतः ऐसे बयान पर सभी बल से लागू होती है, हालांकि एक बार धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया था। कानून के उपरोक्त बयान के परिणामस्वरूप यह स्थिति बनेगी कि पीड़ित की धारा 161 के तहत कथित रूप से दर्ज किया गया बयान, बयान देने वाले व्यक्ति की मृत्यु की बाद की घटना के संबंध में, जो पीड़ित था, अभियोजन प्राधिकार उक्त कथन की प्रकृति और सामग्री को

साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत आने वाली और मृत्यु घोषणा के रूप में मानते हुए उक्त कथन पर भरोसा करने के लिए सक्षम बनाएगा और इस तरह उन सभी विश्वसनीयता की सराहना करेगा जो दर्ज की गई और दावा की गई मृत्यु घोषणा पर लागू होगी।"

12. इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक है। **नज्जम फराघी उर्फ निज्जाम फारूकी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1998) 2 एससीसी 45** उपरोक्त मामले में, पीड़ित पर मिट्टी का तेल डाला गया और उसे 13.06.1985 पर आग लगा दी गई। वह लगभग एक महीने तक जीवित रहीं और 31.07.1985 पर उनकी मृत्यु हो गई। इस न्यायालय ने धारा 32(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल यह तथ्य कि मृत्यु की घोषणा करने के लंबे समय बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई, बयान का मूल्य कम नहीं होता है। पारा 9 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"9. इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु मृत्यु घोषणा करने के लंबे समय बाद हुई थी और इसलिए उन बयानों का कोई मूल्य नहीं है। यह तर्क साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में स्पष्ट प्रावधान की अनदेखी करता है। उप-धारा (1) का दूसरा पारा इस प्रकार हैः

"इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और जो भी कार्यवाही की प्रकृति हो सकती है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जल्द ही अपनी मृत्यु की उम्मीद कर रहा है तो वह झूठ में लिप्त नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि व्यक्ति अपेक्षा से अधिक समय तक जीवित रहता है तो इस

तरह का कथन अपना मूल्य खो देता है। प्रत्येक मामले में प्रश्न पर उसमें स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि कथन सच नहीं हो सकता था या यदि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य बयानों की सामग्री की पुष्टि करते हैं, तो न्यायालय निश्चित रूप से इसे स्वीकार कर सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। वर्तमान मामले में दोनों अदालतों ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की चर्चा की है और पाया है कि दो मृत्यु घोषणाएं जो एक्जीविट/दस्तावेज सं. 5 और 6 में निहित हैं। वह स्वीकार्य हैं।"

13. **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपर्युक्त)** मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया है। उपरोक्त संविधान पीठ का गठन दो तीन-न्यायाधीशों की पीठ के बीच संघर्ष को हल करने के लिए किया गया था अर्थात **पापरम्बका रोसम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 695 और कोली चुनिलाल सावजी और एक अन्य बनाम। गुजरात राज्य (1999) 9 एस. सी. सी. 562।** मामले के तथ्य और उपरोक्त दो मामलों में व्यक्त विरोधी विचार पारा संख्या 1 और 2 में देखे गए हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः-

"इस आपराधिक अपील में, अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि मृतक की मृत्यु घोषणा पर आधारित है जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 4) द्वारा दर्ज किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणा को सच्चा, स्वैच्छिक और भरोसेमंद माना। मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में कहा था कि उसने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रोगी से संपर्क किया था और रोगी से कुछ सवाल पूछने के बाद यह पता लगाने के लिए कि क्या वह बयान देने में सक्षम थी; क्या उसे आग लगा दी गई थी; क्या वह होश में थी और बयान देने में सक्षम थी और संतुष्ट होने पर उसने मृतक का बयान दर्ज किया। डॉक्टर का एक प्रमाण पत्र था जो इंगित करता है कि रोगी होश में था। उच्च

न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के साक्ष्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर विचार करने के साथ-साथ रिकॉर्ड पर अन्य परिस्थितियों के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक चंद्रकला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था और इस तरह मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है। जब बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के फैसले के खिलाफ अपील इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखी गई, तो अपीलार्थी के वकील ने *पापरमबाका रोसम्मा बनाम ए.पी. राज्य, (1999) 7 एससीसी 695* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और प्रतिवाद किया कि चूँकि डॉक्टर के प्रमाणन का प्रभाव यह नहीं था कि रोगी बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था, इसलिए मृत्यु घोषणा को अदालत द्वारा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता था। राज्य की ओर से पेश हुए वकील की ओर से *कोली चुनीलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य (1999) 9 एससीसीसी 562* के मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें इस अदालत ने कहा है कि यदि रिकॉर्ड पर सामग्री से संकेत मिलता है कि मृतक पूरी तरह से होश में था और बयान देने में सक्षम था, तो इस प्रकार दर्ज मृतक की मृत्यु घोषणा को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर ने यह पुष्टि नही की है कि मृतक प्रश्नगत बयान देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था। चूंकि तीन विद्वान न्यायाधीशों की दो पीठों द्वारा व्यक्त किए गए दो उपरोक्त निर्णय कुछ हद तक विरोधाभासी थे, इसलिए पीठ ने दिनांक 27.07.2002 के आदेश द्वारा प्रश्न को संविधान पीठ को भेज दिया।

2. शुरुआत में हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम केवल इस न्यायालय के उपरोक्त तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बीच तथाकथित संघर्ष का समाधान कर रहे हैं, जिसके बाद आपराधिक अपील न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के

समक्ष रखी जाएगी, जिन्होंने मामले को संविधान पीठ को भेजा था। इसलिए हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने से बच रहे हैं और हम अपने विचारों को उपरोक्त में संदर्भित दो निर्णयों की शुद्धता तक सीमित कर रहे हैं।"

14. संविधान पीठ ने **कोली चुनीलाल सावजी (ऊपरोक्त)** में लिए गए बाद में निर्णय के विचार को मंजूरी दी। पैराग्राफ नंबर 5 में, निम्नलिखित पारा सं.2 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः-

"5. अदालत ने उपरोक्त मामले में भी इस अदालत के *हरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य* के फैसले पर भरोसा किया जिसमें मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में कहा था कि उसने डॉक्टर से यह पता लगाया था कि क्या वह बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी और उस प्रभाव का समर्थन प्राप्त किया था और केवल इसलिए कि घोषणा पर समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि आवेदन पर किया गय था मृत्यु घोषणा को किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं बनाएगी। पहले ही बताए गए कारणों से, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि इस न्यायालय ने *पापरमबाका रोसम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 695* (एस. सी. सी. पृष्ठ 701, पारा 8 में) इस प्रभाव के लिए कि इस न्यायालय के विचार में

> "एक चिकित्सा प्रमाणन के अभाव में कि घायल घोषणा करते समय मन की स्वस्थ स्थिति में था, एक मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्वीकार करना बहुत जोखिम भरा होगा, जिसने राय दी थी कि घायल घोषणा करते समय मन की स्वस्थ स्थिति में था"

बहुत व्यापक रूप से कहा गया है और यह कानून का सही उच्चारण नहीं है। यह वास्तव में एक अति तकनीकी दृष्टिकोण है कि डॉक्टर का प्रमाणन इस प्रभाव के लिए था कि रोगी सचेत है और इस बात का कोई प्रमाणन नहीं था कि रोगी स्वस्थ

मानसिक स्थिति में था, विशेष रूप से जब मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने रोगी से पूछे गए प्रश्नों का संकेत दिया था और प्राप्त उत्तरों से संतुष्ट था कि रोगी स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, जिसके बाद उसने मृत्यु की घोषणा दर्ज की। इसलिए, *पापरमबाका रोसम्मा बनाम ए.पी. राज्य (1999) 7 एससीसी 695* में इस न्यायालय के फैसले को सही ढंग से तय नहीं किया जाना चाहिए और हम *कोली चुनिलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य (1999) 9 एससीसी 562* में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पुष्टि करते हैं।

15. **पापरमबाका रोसम्मा (ऊपरोक्त)** में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि चिकित्सा प्रमाणन के अभाव में कि घायल घोषणा करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था, एक मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्वीकार करना बहुत जोखिम भरा होगा, जिसकी राय थी कि घायल घोषणा करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था, एक सही कानून निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, संविधान पीठ केवल मृत्यु घोषणा करने के लिए पीड़ित की योग्यता के संबंध में चिकित्सा प्रमाणन की प्रकृति के प्रश्न पर विचार कर रही थी। उपरोक्त मामले में निर्धारित प्रस्ताव किसी भी तरह से वर्तमान मामले में अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करता है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें परीक्षण अधिकारी द्वारा 05.12.1990 पर पीड़ित की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया गया था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने बयान को प्रासंगिक माना और उक्त बयान पर भरोसा किया।

16. हमने देखा है कि इस न्यायालय ने धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत वह कथन निर्धारित किया है, जो धारा 32 (1) के तहत आता है, प्रासंगिक और स्वीकार्य है। इस प्रकार, हम निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले में परीक्षण अधिकारी द्वारा 05.12.1990 पर दर्ज किए गए घायलों के बयान पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि परीक्षण अधिकारी ने अपनी प्रति-परीक्षण में कहा है कि वह

30.11.1990 की रात को बयान दर्ज करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए थे, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उनकी जांच नहीं की गई थी। इस प्रकार, परीक्षण अधिकारी को 05.12.1990 पर दिए गए बयान पर निर्भरता किसी भी संदिग्ध परिस्थिति का कारण नहीं बनती है ताकि इस तरह के बयान के मूल्य को खारिज किया जा सके। पीड़ित द्वारा 05.12.1990 पर दिया गया बयान निम्नलिखित प्रभाव का थाः-

> "मेरा नाम भास्कर साहू है। कैबाल्या साहू का पुत्र, गाँव के वर्तमान/स्थायी निवासी- लंगल देई, पी. एस. दिगापहंडी जिला। गंगनम, आज, यानी 05.12.1920 पर, मेडिकल कॉलेज के वार्ड में होने के नाते मैं अपना मौखिक बयान देता हूं कि, मैं लगभग 6 बजे 28.11.1990 पर अपने गाँव लंगाल डेल से बेलापाड़ा अपनी साइकिल से जा रहा था। बेलापाड़ा गाँव के पुल के पास जाते समय, हमारे गाँव के निवासी प्रदीप बिसोई, माधब बिसोई के पुत्र और उसके कुछ दोस्त मुझे मारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे एक स्कूटर से आए थे। मैं दूसरों को नहीं जानता। बेलापाड़ा पुल के पास, अचानक प्रदीप बिसोई ने मेरी ओर एक बम फेंका, जो मेरे दाहिने पैर से टकराने के बाद निष्क्रिय हो गया, जिसके लिए मैं सड़क पर गिर गया। जब मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश में भागना शुरू किया, तो उस समय प्रदीप बिसोई मेरे पीछे भागा और मेरे दाहिने टांके पर काठी से प्रहार किया, जिसके लिए मैं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इसके बाद उनके द्वारा ले जाई गई एक बोतल से, उन्होंने मेरे सिर, चेहरे, छाती और मेरे पूरे शरीर पर तेजाब डाला। मैंने अपनी जान बचाने के लिए काले रंग की बनियान को अपने शरीर से फेंक दिया। मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदीप बिसोई और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। उसके बाद, हमारे गाँव के खालिया पति के बेटे ने मुझे देखा, और मुझे साइकिल की मदद से ले जाते समय, मेरे भाई सुरेंद्र साहू को वह खबर मिली और तारिणी साहू, और हमारे गाँव के किशनाथ बिसोई और विद्याधर बाबू मेरे पास पहुंचे और मेरे भाई ने तुरंत मुझे बेरहामपुर मेडिकल कॉलेज

में भर्ती कराया। वरना मेरी मौके पर ही मौत हो जाती। हमारी पिछली दुश्मनी के कारण, प्रदीप बिसोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं बच गया। मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है।"

17. विचारण न्यायालय ने सबूतों की अभिमल्यत के बाद निष्कर्ष दर्ज किए कि मृतक को तेजाब की चोटों के साथ-साथ बम विस्फोट की चोटें भी थीं। तेजाब के हमले में उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी और अपना दाहिना पैर भी खो दिया। विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि मृतक का 05.12.1990 पर दिया गया बयान धारा 32 के तहत स्वीकार्य है क्योंकि यह उसकी मृत्यु के कारण और वह कैसे घायल हुआ था, इसके बारे में है। निर्णय के पारा 8 में, विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार दर्ज किया हैः-

"8. मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक को तेजाब से चोट लगी थी और बम विस्फोट से चोट लगी थी और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब यह देखना है कि मृतक के व्यक्ति पर तेजाब और बम विस्फोट की चोट किसने की थी। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मृतक ने अभि.सा. 1 को जानकारी दी थी और परीक्षण अधिकारी अभि.सा. 1 का कहना है कि उसे मृतक से पता चला कि आरोपी ने उस पर हमला किया और उसके चेहरे और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजाब फेंक दिया और उसने मृतक से तथ्य जानने के बाद पुलिस को मामले की सूचना दस्तावेज 12 के माध्यम से दी। अभि.सा.3 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि वह मृतक को अस्पताल ले गया था, जिसे चोटें आई थीं। पी. डब्ल्यू. 1 को मृतक का बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है। क्योंकि, यह उसकी मृत्यु के कारण और वह कैसे घायल हुआ था, इसके बारे में बताता है।"

18. मृतक के शरीर पर लगी चोटें अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन करती हैं। 05.12.1990 पर मृतक द्वारा दिए गए बयान में, इस प्रकार, मृतक के शरीर पर लगी

चोटों और अभियोजन पक्ष द्वारा दावा की गई घटनाओं और घटनाओं के क्रम से पुष्टि मिलती है। अभि.सा.1, सूचक ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

19. उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए यह भी टिप्पणी की है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा कम और उदार अपराध के लिए थी।

20. हम अभिलेख पर साक्ष्य को देखने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की। उच्च न्यायालय ने अपील पर निर्णय लेते समय अभिलेख पर साक्ष्य का भी विश्लेषण किया है और अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इस प्रकार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे खारिज कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे याचिका खारिज कर दी गई।

उपेंद्र नारायण सिंह